

Recruitment of Office Assistant and Office Helper for DPLC

Eligibility and other relevant information & Application form

1. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये पूर्णतया एकमुश्त मासिक वेतन पर संविदा आधार पर पूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से, जो इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरी करते हों, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिनके लिये "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" लागू होंगे।
2. **संविदा वेतन एवं अवधि.-** संविदा सेवा में सिर्फ एक मुश्त राशि मासिक वेतन के रूप में (कार्यालय सहायक के लिये एकमुश्त राशि रु. 20,000 प्रति माह तथा कार्यालय हेल्पर के लिये एकमुश्त राशि रु. 10,000) देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी। चयनित व्यक्ति को तीन वर्षों की अवधि के लिए करार के माध्यम से अनुबंधित किया जाएगा, यह अवधि अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विस्तारणीय होगा और आरंभिक तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय बड़ी हुई महंगाई भत्ता के अनुसार विस्तारण के समय परिलब्धियों के अभिसूचक के साथ अनुबंधित किया जाएगा।
3. **पद हेतु निर्धारित अर्हताएं:-**

क्र.	पदनाम	निर्धारित अर्हताएं
1.	कार्यालय सहायक	1- केन्द्र शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र शासन या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त परिषद्, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा का कौशल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, (जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) एवं 3- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड-3 या इनके वेतनमान से उच्च वेतनमान पर कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।
2.	कार्यालय हेल्पर	1- केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से दसवीं न्यूनतम 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, एवं 2- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा एल.एम.

	<p>व्ही. का स्थायी लायसेंस धारी हो।</p> <p>नोट :- कार्यालय हेल्पर को कार्यालयीन कार्यों में सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सिक्क्योरिटी एवं वाहन चालन के भी कार्य अपेक्षित हैं।</p>
--	---

4. निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1.1.2014 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- “छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 2.6.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।
- (vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की

सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा/महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- (ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.6.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर, दिनांक 30.1.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xii) अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिये छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अद्यतन परिपत्रों के प्रावधान लागू रहेंगे।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 27.9.2013 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) आयु की गणना दिनांक - 1.1.2014 के संदर्भ में की जाएगी।
- (iii) निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

5. अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

- 6. साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-**
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये “सक्षम अधिकारी द्वारा संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
- 7. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-**
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीकृत/अराष्ट्रीकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं, परन्तु आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्त की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. आपराधिक अभियोजन:-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए चयन प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) साक्षात्कार संचालन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, या
- (x) साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :-

- (i) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :-
 - (a) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - (b) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
 - (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि -

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

9. **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से संविदा पद पर नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-**

1. शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु, जाति आदि के प्रमाण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।
2. आवेदन में चाही गई जानकारीयां सही भरी जावे।
3. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके लेटरहेड में जारी किये गए होने चाहिए।
4. आवेदक अपनी अर्हताएं, संबंधित अनुभव की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं, अनुभव एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर या असत्य जानकारी आदि दिये जाने पर आवेदन/ नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जांच कराई जायेगी, जांच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा।
6. संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान सभी मामलों में नियोक्ता का निर्णय सर्वमान्य होगा।

7. आवेदन के साथ सभी संलग्न सहपत्रों का अनिवार्य रूप से अलग से एनेक्सर में विवरण देंगे तथा सावधानी पूर्वक अच्छे से सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं उसकी जांच कर लें।
8. आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही किया जावे।
9. आवेदन निम्न पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भेज सकते है या स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर जमा कर पर पावती प्राप्त कर सुरक्षित रखें-
प्रति,
कलेक्टर-सह-अध्यक्ष,
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज,
जिला.....
पता..... पिन.....

11. चयन प्रक्रिया :-

क्रमांक	पदनाम	चयन प्रक्रिया
1.	कार्यालय सहायक	जिला कार्यालयों के पद हेतु जिला कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र पाये गये आवेदकों को कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी। कार्यालयीन पत्राचार, नोटशीट, प्रेजेन्टेशन, गणना आदि के ज्ञान के संबंध में कम्प्यूटर आधारित कौशल परीक्षा 40 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक अथवा आई. टी.आई. द्वारा ली जायेगी। कौशल परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जावेगी एवं प्रावीण्यता के आधार पर पद की संख्या के प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 10 होंगे। कौशल परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रावीण्यता सूची से चयन हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक प्राप्तांक होने पर ही चयन हेतु पात्र माना जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। डीपीएलसी के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।
2.	कार्यालय हेल्पर	जिला कार्यालयों के पदों हेतु संबंधित जिला कार्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्र आवेदकों की निर्धारित अर्हता के अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाई जायेगी। प्रत्येक आरक्षण प्रवर्ग के लिए पद की संख्या के 07 गुणा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 25 होंगे। आवेदक के एल.एम.वी. स्थाई लाईसेंसधारी होने पर 10 बोनस अंक दिये जावेंगे। साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा बोनस अंक को जोड़कर बनाई गई प्रावीण्यता सूची के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। डीपीएलसी के पदों पर चयन हेतु चयन सूची को अनुमोदन हेतु कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, डीपीएलसी को प्रेषित किया जायेगा, जो चयन सूची को अनुमोदित अथवा निरस्त कर सकेंगे।

12. साक्षात्कार के लिये यात्रा व्यय का भुगतान :-

छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा।

13. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। प्रकाशन की त्रुटि के लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगी।

14. आवेदन करने की अंतिम तिथि :-

(निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा)

सही/-

कलेक्टर-सह-अध्यक्ष

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज

जिला.....(छत्तीसगढ़)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, जिला.....

..... (छत्तीसगढ़)

फोन नं.: ----- वेबसाईट : -----Email-----

कार्यालय सहायक एवं कार्यालय हेल्पर पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

हाल ही में खीचा हुआ
रंगीन पासपोर्ट साईज
फोटो स्वयं से
सत्यापित कर चस्पा
करें।

- आवेदित पद का नाम -
- आवेदक का नाम -
 - पिता/पति का नाम -
 - जन्मतिथि अंकों में :- दिन..... माह..... वर्ष.....
आयु दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में :- दिन..... माह..... वर्ष.....
 - लिंग :- पुरुष महिला
 - क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है : हां नहीं
 - जाति :-
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य
 - क्या आप विकलांग है : हां नहीं
 - शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का विवरण जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है -

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क (यदि कोई है)
1	2	3	4	5	6	7	8

आवेदक के हस्ताक्षर

- छत्तीसगढ़ राज्य शासन के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक उपक्रम, निगम, मंडल में शीघ्रलेखक के रूप में कार्यालयीन कार्य का अनुभव का विवरण

(A) Pl. mentions all experiences in descending order with respect to calendar.

क्र.	नियोक्ता विभाग/आर्गनाइजेशन का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान का नाम जहाँ कार्य किया/कर रहे है	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी/स्थायी संविदा या अन्य)	मासिक वेतन (रु. में)	कार्य ग्रहण अवधि दिनांक सहित	कुल अनुभव (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8

(B) प्राप्त अनुभवों के संबंध में अधिकतम 100 शब्दों में विवरण आवेदन के साथ संलग्न करें।

(C) नियोक्ता के संबंध में जानकारी :-

नियोक्ता विभाग/ आर्गनाइजेशन का नाम	संस्थान/प्रतिष्ठा का नाम जहाँ कार्य किया है या कर रहे है, का पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित/मोबाईल नं.	ई-मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

टीप :-आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव की जाँच कराई जायेगी, जाँच में किसी भी प्रकार से गलत जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पद हेतु अमान्य किया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अतः असत्य जानकारी न दी जावे।

आवेदक के हस्ताक्षर

10. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो 1. कितने वर्ष की.....
2. कारण बतायें तथा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति लगायें

टीप :- आवेदक को पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी/पत्राचार ई-मेल/SMS के माध्यम से दिया जायेगा। अतः ध्यान पूर्वक ई-मेल एवं मोबाईल नंबर अंकित करें।

निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में $\sqrt{\quad}$ चिह्न अंकित करें। यदि जानकारी हां में है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है ? हां नहीं

12. पत्र व्यवहार का पता :-

.....

एसटीडी कोड-.....लैंडलाईन नं.....

मोबाईल नं.....ई-मेल.....

जिला का नाम-.....पिन कोड-.....

13. क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारक है ? हां नहीं

14. क्या आप शासकीय सेवा से छंटनी किये गये है हां नहीं
15. क्या आप अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन, योजनान्तर्गत पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि हैं ? हां नहीं
16. क्या आप विक्रम पुरस्कार विजेता है ? हां नहीं
17. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं है ? हां नहीं
18. रोजगार कार्यालय का नाम एवं :-.....
जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित:-.....
19. विवाहित होने की स्थिति में विवाह:-.....
की तिथि
20. अंतिम बच्चे की जन्मतिथि :-.....
21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. आयु के सत्यापन के संबंध में 10वीं/अन्य की अंकसूची
2. अनुभव प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. मूल निवास प्रमाण-पत्र
5. पंजीयन प्रमाण-पत्र
6. जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा स्थायी पता